राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच सं. 12, रायसिंहनगर
(न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर)

नक्षत्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर
प्रार्थना पत्र सं. 107/2022 सीसीएमएस 2022/344
अन्तर्गत 125/136 एलआरएक्ट

13.08.2022

मानीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक एनएलए/2022/70 दिनांक 06.08.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित की गई बैंच सं. 12 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किये जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से नियुक्त राजपैरोकार(उप तहसीलदार गजसिंहपुर) उपस्थित।

प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073-2076 ग्राम 13 टीके के संयुक्त खाता सं. 77 के मु.न. 48,78,62 की कुल 5.629है. नहरी बारानी भूमि में से प्रार्थी का 301/5629 हिस्सा खातेदारी भूमि है। नत्था सिंह पुत्र हीरा सिंह जाति जटसिख निवासी 13 टीके के स्वय के कोई संतान नही थी। नत्था सिंह ने प्रार्थी को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करते हुए दिनांक 28.07.1979 को विधिवत गोदनामा निष्पादित करवा उप पंजीयक गजसिंहपुर से पंजीकृत करवाया। नत्था सिंह के देहान्त के बाद प्रार्थी को भूमि विरासतन प्राप्त हुई। इतकाल सं. 137 के द्वारा भूमि प्रार्थी के नाम से नामान्तरित करते समय भूलवश प्रार्थी के दत्तक पिता नत्था सिंह के स्थान पर हकीकी पिता करतार सिंह का नाम दर्ज कर दिया गया। जो तब से रिकार्ड में चला आ रहा हैं। रिकार्ड में उक्त गलती मानवीय व लिपिकीय भूलवश हुई हैं। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम की त्रुटि को दुरूस्त करते हुए नक्षत्र सिंह पुत्र करतार सिंह के स्थान पर नक्षत्र सिंह पुत्र दत्तक पुत्र नत्था सिंह दर्ज कर राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती कर सही अंकन दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को देने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार (उपतहसीलदार गजसिंहपुर) जवाब मय रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/भू.अ./1498 दिनांक 13.08.2022 प्रस्तुत किया। जवाब अप्रार्थी में निवेदन किया गया हैं कि रकबा पूर्व में नत्था सिंह पुत्र हीरासिंह के नाम दर्ज था जो कि जरिये इंतकाल सं. 137 दिनांक 06.04.99 के विरासतन/गोदनामा के नक्षत्र सिंह पुत्र करतार सिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी गोदनामा दिनांक 16.08.1979 के मुताबिक नत्था सिंह पुत्र हीरा सिंह के गोद चला गया था। अतः उक्त इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नक्षत्र सिंह पुत्र करतार सिंह के स्थान पर नक्षत्र सिंह पुत्र नत्था सिंह दर्ज होना चाहिए था। रिपोर्ट के साथ चित्रप्रति गोदनामा, नामान्तरकरण प्रस्तुत की हैं।

चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा रिकार्ड में अमलदरामद के समय हुई भूल को स्वीकार किया गया हैं तथा दुरूस्ती आदेश पारित करने पर सहमति व्यक्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 13 टी[illegible] 2073-2076 के संयुक्त खाता सं. 77 में दर्ज भूमि मु.नं. 48,78,62 की कुल [illegible]29है. नहरी बारानी व खाला भूमि के खातेदार नक्षत्र सिंह [illegible] करतार सिंह हि[illegible] 301/5629 जाति जटसिख सा. देह खातेदार की दुरूस्ती [illegible] नक्षत्र सिंह पुत्र नत्था सिंह हिस्सा 301/5629 जाति [illegible] दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested

13/8/22

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच